तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अजितसिंह राठौड, अभिभाषक प्रार्थी । श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका व श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया अप्रार्थी संख्या–1 ने एक राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में न्यायालय उपखंड अधिकारी दूदू के यहां प्रस्तुत किया। दौराने वाद एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी दूदू ने अपने आदेश दिनांक 24–4–06 द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं.2 प्रतिवादी सं.1 की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जो मानसिक रूपसे विकृत एवं अस्वस्थ व्यक्ति है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं.1 व 2 के दत्तक पुत्र एंव दत्तक पुत्री होकर वाद में आवश्यक पक्षकार है। घीस्या व वादिनी ने भी उक्त दोनों को गोद लेना स्वीकार किया है। स्वयं स्वीकृत साक्ष्य से बढकर कोई साक्ष्य नहीं है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये बिना किसी आधार के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कहा कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं है। धीस्या ने रामराज व बिन्दु को कभी गोद नहीं लिया बल्कि उसका गोदपुत्र सूरज है। प्रतिवादीनी सं.2 धीस्या की सगी बहन है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता निरस्त करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सबंधित है। प्रार्थीगण द्वारा वाद में पक्षकार बनने का मुख्य कारण धीस्या द्वारा प्रार्थीगण को गोद लिया जाना बताया गया। गोद/दत्तक पुत्र होने एवं न होने के सबंध में किसी प्रकार का निष्कर्ष सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रार्थीगण धीस्या के दत्तक पुत्र व पुत्री होना संदेह से परे साबित नहीं होना माना है तथा हुये उन्हें वाद में हितबद्व पक्षकार नहीं मानते हुये उनका प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को आवश्यक पक्षकार न मानकर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः हस्तगत् निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(बी.एल.मेहरडा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए